राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

राजस्थान में संचालित **डिप्लोमा इंजीनियरिंग** पाठ्यक्रमों में पार्श्व प्रवेश पद्धति से डिप्लोमा द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में ऑनलाईन प्रवेश आवेदन के लिये विवरणिका

सत्र 2021–22

संदर्भ सूची (Index)

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	प्रवेश के लिये सामान्य दिशा निर्देश	1–3
3.	प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यताएं	3-4
4.	प्रवेश में प्राथमिकता	4
5.	प्रवेश में आरक्षण श्रेणी – (A) (Gen/SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/- MBC (Non Creamy Layer)/ EWS (Economical Weaker Section) श्रेणी – (B) (EXS(a)/ EXS(b)/ EXS(c)/EXS(d) (For Candidates belonging to military services only as per norms) श्रेणी – (C) (Kashmiri Migrants (KM) / Physically Handicapped (PH)) श्रेणी – (D) (Widow/Divorce) श्रेणी – (E) (Single Mother dependent)	4–7
6.	स्ववित्त पोषित आधार पर प्रवेश	7
7.	योग्यता सूची	8
8.	प्रथम आंवटन,	8–9
9.	रिर्पोटिंग की प्रक्रिया	9
10.	अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन करना	9
11.	नोडल सेन्टर पर रिपोर्टिंग	9
12.	द्वितीय आंवटन	9
13	अन्तिम महाविद्यालय में रिपोर्ट करना	9
14.	इन्टरनल स्लाईडिंग	9–10
15.	शुल्क	10
16.	प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर में नामांकन	11
17.	छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क	11
18	सामान्य सूचनाएं	11–12
	शाखा श्रेणी – सारणी–1	13–14
	शुल्क सारणी – 3	15
	छात्रावास शुल्क सारणी – 4	16
अन्तिम सीट मैट्रिक्स – सारणी–2		
परिशिष्ट प्रारूप–परिशिष्ठ–I से IX		
ऑनलाईन आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ठ–X		

1. प्रस्तावनाः

राज्य में वर्तमान में लगभग कुल 130 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं जिनकी लगभग कुल प्रवेश क्षमता 28,299 विद्यार्थी हैं। इनमें से 44 पॉलिटेक्निक (36 सह शिक्षा एवं 8 महिला) महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में तथा 86 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित है। इन समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) नई दिल्ली द्वारा दी जाती है एवं इन्हें प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में इन्जीनियरिंग ब्रांचों में सिविल, सिविल–कन्सट्रक्शन, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मैकेनिकल (ऑटोमोबाईल), मैकेनिकल (रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग), मैकेनिकल (प्रोडक्शन), इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स (फाईबर ऑप्टिक्स), इन्सट्रूमेन्टेशन, कम्प्यूटर साईंस, इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी, केमिकल, प्रिन्टिंग टेक्नोलोजी, प्लास्टिक टेक्नोलोजी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, होटल मेनेजमेन्ट एण्ड केटरिंग टेक्नोलोजी, फैशन डिजाइनिंग, ब्रान्चों में डिप्लोमा कोर्स संचालित किये जाते हैं। इनके पाठ्यक्रमों का निर्धारण एवं परीक्षाओं का आयोजन प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा किया जाता है।

इन पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी को सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं एवं उच्च अध्ययन के लिये इन्जीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिये योग्य हो जाता है। डिप्लोमा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के रोजगार के लिये इन्डस्ट्री–इन्स्टीट्यूट इन्टरेक्शन सैल के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों में केम्पस प्लेसमेंट के द्वारा भी रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। लार्सन एण्ड टूब्रो, एस्सार, जे.एस.डब्ल्यू, एच.सी.एल., डेन्सो, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, आयशर, होण्डा, हीरो, जे.सी.बी., सुजलोन, इत्यादि अनेक कम्पनियां प्लेसमेन्ट में विगत वर्षों में भाग लेती आ रही हैं।

इस विवरणिका में सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आनलाईन आवेदन करने के विस्तृत दिशा–निर्देश, प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों का समावेश किया गया है। आवेदक इस विवरणिका का भली भाँति अध्ययन कर आवेदन करें।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 23 राजकीय सह शिक्षा व महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु अलग से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य कोई भी आदेश जारी करने पर वह तुरन्त प्रभाव से इस प्रक्रिया पर लागू किया जा सकेगा यथा संस्थानों की संख्या, सीटों की संख्या, आरक्षण के प्रावधान, सामान्य नियम इत्यादि। प्रवेश प्रक्रिया एवं अन्य सामान्य अनुदेश निम्नानुसार है :–

2. प्रवेश के लिये सामान्य दिशा निर्देश :

2.1 डिप्लोमा इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु नोडल एजेन्सी, राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर है।

पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के विभिन्न इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की निर्धारित प्रवेश क्षमता की अन्तरिम सूची (सीट मैट्रिक्स) सारणी–2 में दी गई है। इन प्रवेश स्थानों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। सत्र 2021–22 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं, ब्रांन्च व प्रवेश क्षमता के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश स्थानों की नवीनतम जानकारी विभाग की वेब साईट पर उपलब्ध रहेगी। वर्तमान में राज्य में स्थित विभिन्न राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2021–22 में प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में सेमेस्टर एवं तृतीय वर्ष में वार्षिक परीक्षा प्रणाली के आधार पर संचालित हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक

महाविद्यालयों में राज्य पोषित एवं स्व–वित्त पोषित योजना के तहत स्वीकृत स्थानों पर प्रवेश किये जा रहे है। इनमें अध्ययन हेतु दिये जाने वाले शुल्क का विवरण सारणी–3 पर उपलब्ध है एवं शुल्क प्रतिवर्ष दो किश्तों में लिया जायेगा।

2.2 **आवेदन करनाः–** डिप्लोमा इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को राजस्थान हायर एज्युकेशन पोर्टल **hte.rajasthan.gov.in** के **home Page** में **admission Tab** में **Deparment of Technical Education** में **Polytechnic Admission** के अन्तर्गत **Lateral Admission Tab** पर आवेदन करते हुये ऑनलाइन फॅार्म भरने की प्रक्रिया के दौरान निर्धारित शुल्क रू. 300/– पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुये आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र SUBMIT होने पर आवेदक को इसकी सूचना ई मेल/मैसेज से प्राप्त होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं आप्शन फार्म भरने हेतु विस्तृत प्रक्रिया इस विवरणिका में परिशिष्ट–**X** पर उपलब्ध है।

2.3 **ऑन लाईन आवेदन–पत्र भरकर Submit करने से पूर्व आवेदन पत्र (Application Form) ऑन लाईन भरने हेतु अभ्यर्थियों के लिये दिशा निर्देश तथा इस विवरणिका में शामिल दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन करें और ऑनलाइन आवेदन–पत्र का हर कॉलम दिशा निर्देश के प्रत्येक पैरा का अध्ययन करने के पश्चात् सावधानीपूर्वक भरें। ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने में सामान्य चूक आपको प्रवेश के लिए अपात्र ठहरा सकती है।**

2.4 अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवश्यक सूचनायें अपनी दसवीं की अंकतालिका, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की अंक तालिका, सीनियर सैकण्डरी की अंक तालिका, आई.टी.आई. की अंक तालिका एवं आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरें।

2.5 **ऑन लाईन आवेदन–पत्र अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरकर ऑन लाईन Submit करें एवं उसका प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।**

2.6 आपके किसी श्रेणी विशेष से सम्बन्ध न रखते हुए भी या प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण–पत्र नहीं होते हुए भी आवेदन–पत्र के निर्धारित कॉलम में उस आशय का इन्द्राज करना दुर्भावना पूर्वक प्रवेश में अनुचित लाभ प्राप्त करने की नियत से किया गया कृत्य माना जावेगा, जो इस प्रवेश हेतु आपकी अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा।

2.7 इस प्रवेश के निमित्त राज्य सरकार व प्राविधिक शिक्षा मण्डल एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी आदेश, निर्देश आदि लागू होंगे।

2.8 डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी शाखा में मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकता/सकती है।

2.9 अस्थाई योग्यता सूचियां **विभागीय वेबसाईट** **http://dte.rajasthan.gov.in/Polytechnics/Admissions** एवं **hte.rajasthan.gov.in** के **home Page** में **admission** पर भी उपलब्ध कराई जायेगी यदि अस्थाई योग्यता सूची के योग्यता क्रम में त्रुटि हो तो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक प्रवेश कार्यालय, **प्रधानाचार्य एवं संयोजक, राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, झालाना डूंगरी, जयपुर** से संपर्क कर आपत्ति दर्ज कराये।

2.10 डॉ. आर.के. राघवन की अध्यक्षता में गठित कमेटी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2007 की क्रियान्विन्ति के आदेशानुसार **रैगिंग लेना कानूनन अपराध है।** यदि कोई भी छात्र/छात्राऐं संस्थान, संस्थान प्रांगण, छात्रावास एवं संस्थान के बाहर रैगिंग लेते हुए पाया जाता है तो उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये सम्बन्धित प्रधानाचार्यों द्वारा undertaking प्राप्त की जायेगी। साथ ही ऐसे छात्र/छात्राओं को संस्थान से निष्कासित करते हुए नामांकन भी निरस्त कर दिया जायेगा।

2.11 विभिन्न संस्थानों में कक्षाएँ दिनांक 20.09.2021 से प्रारम्भ होंगी ।

2.12 सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश ''केन्द्रीय प्रवेश प्रक्रिया'' (Centralized Admission System) से किये जाते हैं।

2.13 नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि तीन वर्ष की है। नव प्रवेशित अभ्यर्थियों का नामांकन द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) हेतु ही किया जायेगा।

2.14 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्रवेश ''प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर की परीक्षाओं की सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत किये जायेंगे ।

2.15 अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रत्येक ब्रांच में पाठ्यक्रम की निर्धारित प्रवेश–क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिये जायेंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी सारणी–2 में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रथम वर्ष प्रवेश के उपरान्त रिक्त रही सीटों को भी सम्मिलित किया जायेगा। रिक्तियों का निर्धारण नामांकन के पश्चात् रिक्त रहे स्थानों से की जायेगी। इस वर्ष के प्रवेश के लिये प्रस्तावित प्रोविजनल सीट मेट्रिक्स सारणी–2 में दर्शाया गया है।

2.16 किसी भी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की किसी ब्रांच में प्रवेश हो जाने के पश्चात तृतीय वर्ष में स्थानान्तरण विभाग द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार किया जाना संभव होगा –

(i) केवल राजकीय पॉलिटेक्निक के राज्य पोषित पाठ्यक्रमो में अध्ययनरत विद्यार्थियों के तृतीय वर्ष में अन्य राजकीय पॉलिटेक्निक में स्थानान्तरण, उसी ब्रांच में **स्थान रिक्त होने पर** संभव होंगे।

(ii) निजी व निजी जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत संस्थानो में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अन्य किसी पॉलिटेक्निक में **सम्भव नहीं** होगा।

(iii) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अन्य किसी पॉलिटेक्निक में सम्भव नहीं होगा।

3. प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यताएँ :

(क) प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्न परीक्षाओं में से किसी एक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है:

अ. Diploma Engineering

or

ब. 12th Science with Technical Vocational/Technical

or

स. 10+ (2 year ITI) with appropriate Trade in that order shall be eligible for admission to Second year diploma courses of appropriate programme.

or

द. Passed 10+2 examination with Physics/Mathematics/Chemistry/Computer Science/Electronics/InformationTechnology/Biology/Informatics Practices/Biotechnology/ Technical Vocational subject/Agriculture/Engineering Graphics/Business Studies/Entrepreneurship (Any of the three)

नोट :– 1. प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर द्वारा निर्धारित किये गये **Bridge Course** का अध्ययन एवं परीक्षा उर्तीण करनी होगी। **(The student coming from diverse backgrounds shall study and pass the exam of suitable bridge courses decided by Board of Technical Education, Jodhpur)**

2. समकक्ष परीक्षा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षाएं ही मान्य होगी।

(ख) आयु सीमा :

प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के लिये कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

4. प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी (Preferential categories) :

प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी–

<u>प्रथम प्राथमिकता श्रेणी</u> : निम्न में से न्यूनतम एक या अधिक शर्त पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी

(i) जिन अभ्यर्थियो ने प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा / उच्च माध्यमिक परीक्षा राजस्थान में स्थित किसी स्कूल से नियमित अध्ययन कर उत्तीर्ण की हो ।

(iii) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जो प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण) राजस्थान, जोधपुर के प्रशासनिक नियंत्रण वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से राष्ट्रीय / राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT/SCVT) से सम्बद्धता प्राप्त दो वर्षीय इंजीनियरिंग व्यवसायों में आई.टी.आई. या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारक या सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स अथवा समकक्ष हो।

(iv) अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो ।

(v) अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान / Spouse ।

(vi) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के बोर्ड, कार्पोरेशन, विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की सन्तान / Spouse जिनका पदस्थापन राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो ।

<u>द्वितीय प्राथमिकता श्रेणी</u> : यदि उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद भी प्रवेश स्थान रिक्त रहते हैं, तो अन्य अभ्यर्थियों को मेरिट सूची अनुसार योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।

<u>प्रथम प्राथमिकता श्रेणी</u> की श्रेणीवार योग्यता सूची जारी की जाती है तथा <u>द्वितीय प्राथमिकता श्रेणी</u> के अभ्यर्थियों को इस योग्यता सूची (सामान्य श्रेणी का मानते हुए) के अन्त में स्थान दिया जाता है।

5. प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण:–

सामान्य श्रेणी से भिन्न यथा,

श्रेणी–A: Gen/SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/ MBC (Non Creamy Layer)/ EWS (Economical Weaker Section),

श्रेणी–B: EXS (a)/ EXS (b)/ EXS (c)/EXS (d) (For Candidates belonging to military services only as per norms),

श्रेणी–C: Kashmiri Migrants (KM) / Physically Handicapped (PH),

श्रेणी–D: Widow/ Divorcee तथा

श्रेणी–E: Single Mother Dependent

को आवश्यक निर्धारित प्रमाण पत्र (परिशिष्ट– III, IV,V, IX) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

श्रेणी–A:

कुल प्रवेश क्षमता में से अनुसूचित जाति हेतु 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेत 12 प्रतिशत*, नॉन क्रिमीलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण देय है।

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक 7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 08.03.2019 की अनुपालना में अति पिछड़े वर्ग (MBC) हेतु कुल प्रवेश क्षमता का 5 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

आर्थिक कमजोर वर्ग **(Economically Weaker Sections)** आरक्षण :

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.7(2)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 29.03.2019 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 11( )/आ.क.व./डीडीबीसी/सान्याअवि/19/14278 दिनांक 12.03.2019 एवं AICTE द्वारा प्राप्त E.O.A. दिनांक 10.04.2019 की अनुपालना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(Economically Weaker Sections- EWS)** के व्यक्तियों को (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदत आरक्षण के अतिरिक्त) राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में कुल प्रवेश क्षमता से 10 प्रतिशत अधिसंख्य **(Supernumerary)** स्थानों पर प्रवेश आरक्षित होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को **सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना होगा।

*कार्मिक (क–2) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 01.06.2018 में वर्णित टी.एस.पी. एरिया में संशोधन के आधार पर एवं भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19.05.2018 में वर्णित टी.एस.पी. एरिया के अन्तर्गत संशोधन के आधार पर राज्य की सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 8 जिले यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली एवं सिरोही जिले के अधिसूचित भाग को सम्मिलित करते हुए इन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में निर्धारित 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण को सम्पूर्ण राज्य में स्थित सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा स्वीकृत प्रवेश स्थानों पर लागू होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिये निर्धारित 12 प्रतिशत की सीमा के अध्याधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य क्षैत्रों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेगें।

उपरोक्त सभी श्रेणियों में उपलब्ध स्थानों में से 25 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार महिला अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

श्रेणी–B: भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों : सैनिकों के आश्रितों के लिये आरक्षण :

राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.1(47)त.शि./2007 दिनांक 18.03.08 के क्रम में रक्षा कार्मिकों के आश्रितों हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान किया गया हैं।

आरक्षण प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी परिशिष्ट -IV में दिये गये प्रारुप में आवश्यक प्रमाण पत्र एवं Discharge certificate and Pension Payment Order के आवश्यक 2–3 मुख पृष्ठों की स्केन कॉपी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। ऑनलाइन सीट आंवटन के उपरान्त, आंवटी अभ्यर्थी/अभिभावक नोडल सेन्टर पर निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर मूल प्रमाण–पत्रों की जांच करवायेगा। साथ ही उसे प्रवेश हेतु **आंशिक शुल्क रूपये 1000/– ई–मित्र/एच.टी.ई.** के लिंक में बैंक के पोर्टल पर जमा करवाना होगा। रिर्पोटिंग के लिये अभ्यर्थी निर्धारित **33 नोडल** सेन्टर, जिनकी सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं, में से किसी भी नोडल सेन्टर पर मूल प्रमाण पत्र व शुल्क चालान के साथ रिपोर्ट कर सकेगा।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.6(1)/2017/D(Res.II) Dated May 21, 2018 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों/सैनिकों के आश्रितों को निम्नानुसार आरक्षण में वरियता प्रदान की जायेगी।

Priority I : Widows/Wards of Defence Personnel killed in action.

Priority II : Wards of disabled in action and boarded out from service.

Priority III : Widows/Wards of Defence personnel who died while in service with death attributable to military service.

Priority IV : Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

Priority V : Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards **:**

i. Param Vir Chakra

ii. Ashok Chakra

iii. Maha Vir Chakra

iv. Kirti Chakra

v. Vir Chakra

vi. Shaurya Chakra

vii. Sena, Nau Sena, Vayu Sena Medal

viii. Mention-in-Despatches.

Priority VI : Wards of Ex-Servicemen

Priority VII : Wives of :

i) defence personnel disabled in action and boarded out from service.

ii) defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

iii) ex-servicemen and service personnel who are in receipt of Gallantry Awards.

Priority VIII : Wards of Serving Personnel.

Priority IX : Wives of Serving Personnel.

The domicile requirement for the wards of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off. For wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan, the domicile condition is waived off to enable them to be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above mentioned concessions.

50% of the reserved seats will be earmarked for the girls. In case of non-utilisation by girls, the unutilized vacancies would revert back to the boys' category.

बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. व अन्य पुलिस कर्मियों की सन्तानों के लिये आरक्षण नहीं है। जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा ।

श्रेणी–C:

राज्य के सभी तकनीकी संस्थानों में निःशक्त अभ्यर्थियों (PH) के उपलब्ध होने पर प्रवेश क्षमता के 4 प्रतिशत स्थानो पर प्रवेश योग्यता के आधार पर दिये जायेगे। ये स्थान जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसी श्रेणी में दर्शाये गये स्थानों में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जायेंगे। उक्त आरक्षण का लाभ

वे समस्त निःशक्तजन ले सकेंगे जो पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं भी पूरी कर सकते हों। निःशक्त अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण को अर्हताएं पूरी करता है अथवा नहीं, तथा वह किस ब्रान्च के योग्य है, इसका निर्णय संस्था स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। प्रवेश के संबंध में संयोजक, प्रवेश कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

श्रेणी–D:

निर्धारित महिला अभ्यर्थियों के स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थान विधवा और तलाकशुदा महिलाओं से भरे जायेंगे, जिनके उपलब्ध न होने पर ये स्थान उसी वर्ग में से अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे ।

श्रेणी–E:

एकल महिला के बच्चों/आश्रितों के लिये आरक्षण के प्रावधानः–

पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विधवा, तलाकशुदा महिला एवं अनाथ आश्रम में रहवासिनियों के बच्चों/आश्रितों को उपलब्ध होने पर प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। ये स्थान जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानों में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जायेंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा (परिशिष्ट–IX)।

5.1 पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्य (Super numerary) स्थानों पर प्रवेश के प्रावधानः

5.1.1 Kashimiri Migrants Category :

5% of total intake capacity over and above the sanctioned strength in each of the institutions will be reserved for Kashmiri migrants. Sons/ Daughter of displaced persons from Jammu & Kashmir shall be eligible for admission to Diploma Courses. The candidate has to submit a certificate from the competent authority as a proof of being son/daughter of displaced persons from Jammu & Kashmir.

5.1.2 आर्थिक कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections) आरक्षण :

EWS आरक्षण :

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.7(2)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 29.03.2019 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 11( )/आ.क.व./डीडीबीसी/सान्याअवि /19/14278 दिनांक 12.03.2019 एवं AICTE द्वारा प्राप्त E.O.A. की अनुपालना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(Economically Weaker Sections- EWS)** के व्यक्तियों को (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदत आरक्षण के अतिरिक्त) राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में कुल प्रवेश क्षमता से 10 प्रतिशत अधिसंख्य (Super numerary) स्थानों पर प्रवेश आरक्षित होगा।

नोट :–

1- उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए स्थान, पहले महिला अभ्यर्थियों से, महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरे जायेंगे । उपरोक्त में से किसी श्रेणी हेतु आरक्षित स्थानों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी से भरे जायेंगे।
2- बीएसएफ, सीआरपी व अन्य पुलिस कर्मियों की सन्तानों के लिये आरक्षण नहीं है। जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा ।

6. स्ववित्त पोषित आधार पर प्रवेश :

राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित आधार पर भी प्रवेश **सारणी–** 2 के अनुसार दिये जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित फीस (सारणी–3 के अनुसार) जमा करवानी होगी।

7. योग्यता सूची :

(क) अभ्यर्थियों को निम्न परीक्षाओं में से किसी एक में उत्तीर्ण होने पर, **निम्न क्रम में वरीयता** के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे–

(i) Diploma Engineering

(ii) 12th Science Vocational/Technical

(iii) 10+(2 year ITI*) with appropriate specialisation

* दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT/SCVT) से सम्बद्धता प्राप्त दो वर्षीय इंजीनियरिंग व्यवसायों में आई.टी.आई. या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारक या सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स अथवा समकक्ष हो। **ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश सम्बन्धित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर योग्यता (मैरिट) के अनुसार होंगे।**

(iv) 10+2 from Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer & CBSE Delhi or Equivalent

योग्यता सूची उपरोक्त वरीयताक्रमानुसार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जावेगी। जिन अभ्यर्थी ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/काउन्सिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (C.I.S.C.)/ इंडियन काउन्सिल फॉर सैकण्डरी एज्यूकेशन (I.C.S.E.) से सीनीयर सैकण्डरी से (10+2)परीक्षा पास की है, उसकी अंक तालिका में अंकित सभी विषयों के योग के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा। सीनीयर सैकण्डरी से (10+2)परीक्षा में CGPA/GPA प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अंको की गणना CGPA/GPA को 9.5 से गुणा करने के बाद योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा।

(ख) 10+(2 वर्षीय आई.टी.आई.) उत्तीर्ण के आधार पर प्रवेश चाहने वाले पात्र अभ्यर्थियों की I.T.I के प्राप्ताकों के आधार पर **सारणी– 1** मे वर्णित वर्ग–वार योग्यता सूची बनाई जायेगी। वर्ग–वार योग्यता सूची के अनुसार ही अभ्यर्थियों को इंजीनियरिंग डिप्लोमा की संबंधित शाखाओं में प्रवेश दिया जायेगा।

(ग) प्रवेश के लिए सामान्य एवं आरक्षित श्रेणियों की अलग–अलग वर्गवार योग्यता सूचियां बनाई जायेगी तथा सभी श्रेणियों की वर्गवार इकट्ठी सूची भी बनाई जायेगी। यदि आरक्षित श्रेणी के स्थान रिक्त रह जाते हैं तो उन्हे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

नोट :

1. यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के अहर्क परीक्षा में प्राप्तांक बराबर हों तो माध्यमिक परीक्षा में कुल प्राप्तांक अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
   यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के माध्यमिक परीक्षा में भी प्राप्तांक बराबर हों, तो माध्यमिक परीक्षा के गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि ये अंक भी बराबर हों, तो विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। फिर भी अंक बराबर पाये जाने पर पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। उपरोक्त सभी समान होने पर योग्यता सूची में स्थान का निर्धारण अभ्यर्थी के **नाम की** अंग्रेजी वर्णमाला (English Alphabet) के क्रमानुसार किया जायेगा।(A से Z के क्रम में)
2. योग्यता सूची अभ्यर्थी द्वारा **ऑनलाईन भरे गये आवेदन के अनुसार** तैयार की जावेगी । उक्त प्रपत्र को भरने में अभ्यर्थी कोई त्रुटि करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

(घ) प्रवेश हेतु तैयार की गयी अस्थाई योग्यता सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

(ड़) यदि किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में उपर्युक्त स्थान पर सम्मिलित नहीं हो पाया है तो ऐसे अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से **संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश** से निर्धारित तिथि तक सम्पर्क करना चाहिए, जिससे उसका नाम जांच करने के बाद उपर्युक्त स्थान पर सम्मिलित किया जा सके।

8. प्रथम आवंटन :

PH/Ex-S/Single Mother child & dependent की ऑनलाइन सीट–आवंटन के उपरान्त शेष रहे समस्त अभ्यर्थियों के लिये संस्था एवं ब्रांच का आवंटन उनके द्वारा भरे गये विकल्प पत्र (option form) में अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों की वरीयता के क्रम में योग्यता क्रमांक एवं संस्थानों में श्रेणीवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा। यह आवंटन पूर्णतया अन्तरिम (Provisional)

होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विकल्प पत्र में प्रस्तुत विकल्पों में से सीट आवंटन नहीं होता हैं अर्थात choice exhausted हो जाती है, उन्हें स्वतः ही द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जायेगा।

प्रथम आवंटन में उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए पहले महिला अभ्यर्थियों से, महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरे जायेंगे। उपरोक्त में से किसी श्रेणी हेतु आरक्षित स्थानों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी से भरे जायेंगे।

9. रिर्पोटिंग करने की प्रक्रिया :

प्रथम आवंटन के उपरान्त वे अभ्यर्थी जिन्हें संस्था एवं ब्रांच आवंटित होती हैं, वे नोडल सेन्टर पर निर्धारित अवधि में **अभ्यर्थी / अभिभावक** उपस्थित होकर मूल प्रमाण–पत्रों की जांच करवायेगा। साथ ही उसे प्रवेश हेतु **आंशिक शुल्क रूपये 1000 / – ई–मित्र / एच.टी.ई.** के लिंक में बैंक के पोर्टल पर जमा करवाना होगा। रिर्पोटिंग के लिये अभ्यर्थी निर्धारित **33 नोडल** सेन्टर, जिनकी सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं, में से किसी भी नोडल सेन्टर पर मूल प्रमाण पत्र व शुल्क चालान के साथ रिपोर्ट कर सकेगा। रिपोर्ट नहीं करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जायेगा एवं उस स्थान को प्रवेश के आगामी चरणों में रिक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

10. अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन करना :

प्रथम आवंटन में आवंटित स्थान से विकल्प पत्र में प्रस्तुत उच्च विकल्पों पर प्रवेश दिया जाने की प्रक्रिया अपवर्ड मूवमेन्ट कहलाएगी। अतः प्रथम आवंटन में जिन अभ्यर्थियों को स्थान एवं ब्रांच आवंटित हो जाती हैं तथा वे उच्च विकल्प पर प्रवेश चाहते है, वे रिपोर्टिंग के उपरान्त अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु निर्धारित प्रारुप में नोडल सेन्टर पर आवेदन कर सकते है। अपवर्ड मूवमेन्ट के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः उच्च विकल्पों पर प्रवेश के लिये द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जाता है। अपवर्ड मूवमेन्ट होने पर अभ्यर्थी को पूर्व में किया गया आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा।

11. **नोडल सेन्टर पर रिपोर्टिंग**: नोडल सेन्टर पर रिपोर्ट करते समय मूल प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान यदि उचित दस्तावेज के अभाव में अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द होता हैं, तो उसे अतिरिक्त अवसर देने के लिये द्वितीय आवंटन में संयोजक को प्रार्थना पत्र एवं सही दस्तावेज व्यक्तिशः (**अभ्यर्थी / अभिभावक**) निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने पर शेष रहे स्थानों पर सम्मिलित किया जा सकेगा।

12. **द्वितीय आवंटन** : प्रथम आवंटन की रिर्पोटिंग के पश्चात रिक्त रहे स्थानों पर choice exhausted and upward movement अभ्यर्थियों को द्वितीय आवंटन किया जायेगा।

12.1 द्वितीय आवंटन उपरान्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम बार सीट आवंटन हुआ है वे रिपोर्ट करने के लिये नोडल सेन्टर पर उपस्थित होंगे। रिर्पोटिंग की प्रक्रिया प्रथम रिर्पोटिंग की भांति ही रहेगी। जिन अभ्यर्थियों के अपवर्ड मूवमेन्ट के बाद द्वितीय आवंटन के कारण स्थान परिवर्तित होता हैं, उन्हें सीधे ही अंतिम आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करना है, अन्यथा उनका प्रथम एवं द्वितीय आवंटन निरस्त हो जायेगा।

13. **अंतिम महाविद्यालय में रिपोर्ट करना** : समस्त अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय आवंटन में संस्थान एवं ब्रांच का आवंटन हुआ है, वे अंतिम आवंटित महाविद्यालय में मूल दस्तावेज एवं शेष शुल्क सहित निर्धारित अवधि में उपस्थित होंगे। ऐसा नहीं करने पर उनका आवंटन रद्द हो जायेगा।

नोट : अन्तिम रूप से आंवटित महाविद्यालय में रिपोर्ट व्यक्तिशः अथवा ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाबत उस समय की परिस्थिति के मद्देनजर सूचित कर दिया जायेगा।

14. **इन्टरनल स्लाईडिंग** : संस्थान स्तर पर की जाने वाली इन्टरनल स्लाईडिंग के तहत प्रत्येक संस्थान में ऑनलाईन काउन्सलिंग के प्रथम एवं द्वितीय आवंटन तथा उसकी रिपोर्टिंग का कार्य पूर्ण होने पर संस्थान में प्रवेशित संस्थानों की अन्तर ब्रांच परिवर्तन का अवसर दिया जायेगा। इस हेतु ब्रांचवार रिक्त रहे स्थानों की गणना कर संस्थान स्तर पर प्राप्त आवेदनों की श्रेणीवार मेरिट बना कर इन्टरनल स्लाईडिंग की जायेगी। शेष रहे स्थानों पर सामान्य मेरिट सूची बनाकर ब्रांच परिवर्तन किया जायेगा। उल्लेखनीय हैं कि स्ववित्त पोषित ब्रांच में प्रवेशित अभ्यर्थी उसी संस्थान में उपलब्ध राज्य पोषित ब्रांच एवं राज्य पोषित ब्रांच अभ्यर्थी वाले स्ववित्त पोषित ब्रांच में परिवर्तन कर सकते है, लेकिन इसके लिये नियमानुसार शुल्क देय होगा।

14.1 नोडल सेन्टर पर रिपोर्ट करते समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें :–

1. आयु प्रमाण पत्र (माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र)।
2. शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंक तालिकाएं ।
3. आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिए प्रमाण पत्र

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये सक्षम अधिकारी (जिलाधीश, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार) द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण पत्र लाना होगा। इस पत्र पर प्रेषण संख्या, दिनांक एवं कार्यालय की सील होना आवश्यक है। अभ्यर्थी यह देख ले कि उसकी जाति राज्य सरकार द्वारा प्रसारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अधिसूचित है जिसके न होने पर प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा। इस प्रमाण पत्र में नाम एवं उपनाम वही होना चाहिये जो कि अंकतालिका में अंकित है। अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की **प्रारम्भिक तिथि** से एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर, इन श्रेणियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रारुप, परिशिष्ट–**VI** में अन्डरटेकिंग देनी होगी। प्रमाण पत्र इस अन्डरटेकिंग के साथ अधिकतम 3 वर्षों तक मान्य होगा।

नोट :– 1. यदि अभ्यर्थी के पास जाति प्रमाण पत्र प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी किया हुआ है तो वह मान्य होगा अन्यथा वह परिशिष्ट–V में उक्त प्रमाण पत्र प्राधिकृत सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

2. प्रमाण पत्रों में नाम व उपनाम अंकतालिका से भिन्न होने की स्थिति में परिशिष्ट–VIII में स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रार्थना पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

(ii) सैनिक या भूतपूर्व सैनिक के आश्रित होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र **परिशिष्ठ–IV** में दिये गये प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा जिस पर **प्रेषण संख्या, दिनांक एवं कार्यालय की सील** होना आवश्यक है।

(iii) निःशक्त अभ्यर्थी का मेडीकल आर्थोपेडिक सर्जन द्वारा प्रमाण पत्र ।

(iv) विधवा महिला के लिए पति का मृत्युप्रमाण पत्र या तलाकशुदा महिला के लिए सक्षम न्यायालय के आदेश की **स्वयं द्वारा प्रमाणित** प्रतिलिपि ।

(v) कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी हेतु प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

(vi) अभिभावक की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण पत्र की **स्वयं द्वारा प्रमाणित** फोटोप्रति

15. **शुल्क : पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शिक्षण के लिए अभ्यर्थियों को सारणी–3 में दिये गये शुल्क महाविद्यालय में कक्षाऐं प्रारम्भ होने के समय प्रत्येक अभ्यर्थी को नकद अथवा E-mitra द्वारा जमा कराना होगा। शिक्षण शुल्क में छूट के हकदार अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शेष राशि जमा करानी होगी ।**

नोट (1) **राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/आश्रित जो पूर्ण रूप से उन राज्य कर्मचारियों पर आश्रित हैं, जिनके द्वारा कोई आयकर नहीं दिया जाता है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है।** (परिशिष्ठ– I / II में वर्णित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा) प्रमाण पत्र की जांच के बाद प्रधानाचार्य, उस पर उचित आदेश प्रदान करेंगे। **उक्त सुविधा केवल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के राज्य पोषित पाठ्यक्रमों में ही उपलब्ध होगी।**

(2) **प्रवेश लेने के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश (द्वितीय वर्ष के दौरान ही) संस्थान छोड़ता है तो अभ्यर्थी को A.I.C.T.E.के नियमानुसार शुल्क वापस लौटाया जायेगा। यदि अभ्यर्थी तृतीय वर्ष के दौरान या पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् संस्थान छोड़ता है तो अवधान द्रव्य के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस नहीं लौटाया जायेगा।**

16. प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर में नामांकन :

1. राज्य की सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षायें प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा करवाई जाती है ।
2. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी को मण्डल में नामांकन करवाने हेतु नामांकन प्रपत्र जमा कराना होगा तथा प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जमा करवाना होगा ।
3. नामांकन के समय प्रव्रजन प्रमाण पत्र न जमा करा पाने की स्थिति में अभ्यर्थियों को परिशिष्ट VII के अनुसार स्व सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत कराना होगा ।
4. मण्डल द्वारा अभ्यर्थी का नामांकन कर उसे नामांकन संख्या दी जायेगी ।
5. मण्डल में नामांकन के उपरान्त अभ्यर्थी का मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र, जिस के आधार पर मण्डल में नामांकन किया गया है, वापिस नहीं लौटाया जायेगा ।
6. मण्डल में नामांकन हेतु नामांकन प्रपत्र भरने के उपरान्त अभ्यर्थी डिप्लोमा उतीर्ण करने के पूर्व ही जब भी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय छोड़कर अन्यत्र अध्ययन हेतु जाता/जाती है तो उसके द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर मण्डल द्वारा प्रव्रजन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा ।
7. अभ्यर्थी प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से नामांकित रहते हुए किसी अन्य मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे और न ही किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकन रख सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उसका सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से प्रवेश अविलम्ब निरस्त कर मण्डल से उसका नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा ।

17. छात्रावास सुविधा एवं शुल्क :

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय यथा जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर व श्रीगंगानगर एवं महिला पॉलिटेक्निक अजमेर व बीकानेर में विद्यार्थियों हेतु छात्रावास की सीमित सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास में प्रवेश हेतु सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उपस्थिति के समय, प्रधानाचार्य द्वारा आवंटन संबंधी कार्यवाही की जावेगी एवं प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को **सारणी–4** में दिये गये शुल्क की पहली किश्त जमा करानी होगी। द्वितीय किश्त प्रधानाचार्य द्वारा सूचित तिथियों को जमा करानी होगी ।

छात्रावास का अवधान द्रव्य व मैस अग्रिम राशि के अतिरिक्त जमा कराई गई शुल्क की राशि वापस नहीं लौटायी जायेगी। निजी एवं निजी सहभागिता योजना अन्तर्गत स्थापित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्रावास सुविधा की उपलब्धता व छात्रावास शुल्क के संबंध में संबंधित संस्था से सम्पर्क करें।

18. सामान्य सूचनाएं :

(i) एक अच्छे विद्यार्थी के लिये आवश्यक अनुशासन, चरित्र निर्माण, नेतृत्व, उत्तरदायित्व की भावना एवं गुणों के विकास पर संस्थाओं में अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है।

(ii) यदि किसी विद्यार्थी को संस्था का अनुशासन भंग करता पाया गया अथवा उसका व्यवहार शैक्षणिक वातावरण के प्रतिकूल हो तो संस्था के प्रधानाचार्य/अधिष्ठाता को उस विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसमें प्रवेश रदद् कर संस्था से निष्कासित करना, किसी भी अवधि के लिये संस्था से निलम्बित करना, आर्थिक दंड देना या एक संस्था से दूसरी संस्थान में स्थानान्तरित करने हेतु निदेशालय को अभिशंषा करना, चरित्र प्रमाण पत्र में प्रतिकूल प्रविष्टि करना आदि सम्मिलित है ।

(iii) यदि कोई विद्यार्थी बिना पूर्व सूचना व अनुमति के संस्था से निरन्तर पन्द्रह दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम संस्था से अस्थायी रूप से काट दिया जायेगा । कक्षा से किसी भी अवधि की सामूहिक

अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता की कार्यवाही मानते हुए विद्यार्थी का नाम संस्था से अस्थायी रूप से काट दिया जायेगा । ऐसे विद्यार्थी को 200/– रूपये का **पुनः प्रवेश शुल्क** जमा करवाने एवं लिखित में भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देने पर पुनः प्रवेश, प्रधानाचार्य अपने विवेकानुसार अगले दो उप सत्र तक दे सकेंगे । परन्तु विद्यार्थी को उस उप सत्र के दौरान पुनः प्रवेश दिये जाने की स्थिति में उक्त अनुपस्थिति के कारण यदि कक्षाओं में उसकी उपस्थिति कम हो जाती है और वह विद्यार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाता है, तो विद्यार्थी स्वयं इसके लिये उत्तरदायी होंगें। इस सम्बन्ध में संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा । उपरोक्तानुसार संस्थान में पुनः प्रवेश प्रधानाचार्य द्वारा नहीं दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम संस्थान से स्थायी रूप से काट दिया जावेगा।

(iv) यदि कोई विद्यार्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपा कर या योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश के योग्य न होने पर भी किसी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उक्त गलती के पता होने पर, चाहे छात्र उस समय किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उसका प्रवेश रदद् कर दिया जायेगा ।

(v) प्रवेश सम्बन्धी समस्त विषयों पर संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश का निर्णय अन्तिम होगा । संयोजक को यह अधिकार है कि वह किसी भी अभ्यर्थी को बिना कोई कारण बताये प्रवेश देने से इंकार कर दे ।

(vi) प्रवेश सम्बन्धी किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार, जयपुर शहर में स्थित न्यायालय में ही होगा, अन्यत्र नहीं । विवाद बिन्दु के लिये वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्मन एक माह के भीतर प्राप्त होना चाहिए ।

(vii) विद्यार्थी संबंधित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पढ़ाई के वर्षों में संस्था के समय में किसी भी संस्थान में नौकरी नहीं कर सकेगा ।

(viii) विद्यार्थी पर प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर के नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपस्थिति, परीक्षा, रजिट्रेशन आदि हेतु मण्डल के दिशा निर्देश लागू होंगे जिसकी प्रति उसे प्रवेश के समय दी जायेगी।

(ix) विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पूर्ण करने अथवा संस्थान छोड़ने के पश्चात् अवधान द्रव्य लौटाया जायेगा।

(x) किसी भी राजकीय/निजी/निजी सहभागिता संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु उनके टेलीफोन/मोबाईल नम्बर सारणी–2 में संस्थाओं के सम्मुख दर्शाये गये हैं।

(xi) अभ्यर्थी को फॉर्म भरने से पहले तय कर ले कि एन.सी.सी., एन.एस.एस., रोवर/रेंजर, युवा विकास केन्द्र/मानवाधिकार क्लब/महिला प्रकोष्ठ में से किसी एक गतिविधियों में भाग लेगा।

निदेशक
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

सारणी – 1

क्र. सं.	वर्ग (Branch Category)	Technical Examination Board, Gujrat द्वारा दिये गये TEB Certificate Course	आई.टी.आई. ट्रेड	डिप्लोमा शाखाएं जिनमें प्रवेश दिया जा सकता है
1.	Civil Engineering	1) Computer Aided Civil and Architectural Drafting	1. Draftsman (Civil) 2. Surveyor 3. Painter (General) 4. Architectural Draughtsmanship	1. Civil Engineering 2. Architecture 3. Civil (Construction) Engg.
2.	Mechanical Engineering	1) Computer Aided Mechanical Drating, 2) Producion and Maintenance Technician , 3) Press Tool and Dye Making, 4) Advance Automobile Engg.	1. Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures) 2. Lift Mechanic 3. Instrument Mechanic 4. Draftsman (Mechanical) 5. Mechanic (Motor Vehicle) 6. Mechanic (Refrigeration & Air Conditioning) 7. Fitter 8. Machinist 9. Turner 10. Pattern Maker 11. Pump Operator cum Mech. 12. Production & Manufacturing **- (COE)** 13. Fabrication (Fitting & Welding) **- (COE)** 14. Automobile **- (COE)** 15. Mechanic (Diesel) **- (M.ITI)** **(First year + 6 Months + 6 Months Total Two Years)** 16**.** Mechanic (Motor Vehicle) **- (M.ITI)** **(First year + 6 Months + 6 Months Total Two Years)**	1. Mechanical Engineering 2. Mechanical (Automobile) Engg. 3. Mechanical (Refrigeration & Air Conditioning) 4. Mechanical (Production) Engg.
3.	Electrical / Electronics Engineering	1) Electrical Service Technician.	1. Electrician 2. Mechanic (Radio & T.V.) 3. Electronics Mechanic 4. Mechanic (Medical Electronics)	1. Electrical Engineering 2. Electronics Engineering 3. Electronics (Fibre Optics Communication) Engg. 4. Instrumentation Engineering

			5. Information Technology & Electronic Sys. Maintenance 6. Electronics – **(COE)** 7. Electrical – **(COE)** 8. Wireman 9. Instrument Mechanic	
4.	Computer Engineering		1. Information Technology & Electronic Sys. Maintenance 2. Mechanic (Computer Hardware) 3. Information Tech.– **(COE)**	1. Computer Science & Engineering 2. Information Technology
5.	Chemical Engineering	1) Chemical Labo. Technician.	1. Chemical – **(COE)**	1. Chemical Engineering 2. Plastic Technology 3. Petrolium Engineering

Note : 10+(2 year ITI) with appropriate specialisation in that order shall be eligible for admission to 2nd year (3rd Semester) diploma course of appropriate programme

सारणी–3ः शुल्क (रू.) <u>पार्श्व प्रवेश पद्धति से द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु (सत्र 2021–22)</u>

क्र.सं.	मद	राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्रों से ली जाने वाली फीस		राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्राओं से ली जाने वाली फीस		मद	निजी संस्था, निजी जनसहभागिता संस्था एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु	
		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में	प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त **नवम्बर** में
1.	**राजकीय खाता :** प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	200	--	200	--			
2.	शिक्षण शुल्क	-	4150*	-	--	शिक्षण शुल्क	2000	20000
3.	**अराजकीय खाता :** अवधान द्रव्य (**पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार**)	500	500	500	--	अवधान द्रव्य (**पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार**)	----	7500
4.	विविध मद {परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, ड्राइंग शुल्क व पुस्तकालय, बीमा शुल्क}	500	500	500	500	विकास शुल्क	2275	6525
5.	पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस) शुल्क	500	500	500	500			
6.	विद्यार्थी क्लब / विद्यार्थी सभा शुल्क	250	250	250	250			
7.	खेलकूद शुल्क	250	250	250	250			
8.	विकास शुल्क	2075	2075	2075	2075			
	कुल	4275	8225	4275	3575	कुल	4275	34025
	कुल		12500		7850	कुल		38300

* **राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला / राज्य कर्मचारियों के आश्रित, जो आयकर नहीं देते / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।**

नोटः

1. उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है । यदि शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तद्नुसार शुल्क जमा करवाना होगा।
2. निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
3. राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्व–वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
4. अवधान द्रव्य राशि, जो पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दिये जायेंगे।

सारणी –4: छात्रावास शुल्क (रू.)

क्र.सं.	मद	राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान	
		प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
	1	2	3
		(क) राजकीय खाता	
1.	कमरे का किराया सिंगल सिटेड	800	800
	डबल सिटेड	500	500
	ट्रिपल सिटेड	300	300
		(ख) अराजकीय खाता	
2.	छात्रावास का अवधान द्रव्य	2000	–
3.	छात्रावास मैस खर्च अग्रिम धन	1000	–
4.	छात्रावास मैस सिक्यूरिटी	–	–
5.	पानी के खर्च का शुल्क	⇐	⇐
6.	बिजली के खर्च का शुल्क	⇐	⇐
7.	सामान्य कोष्ठ शुल्क	500	500
8.	उपकरण व बर्तनों की मरम्मत एवं खरीद शुल्क	800	800

⇐ बिजली व पानी का शुल्क छात्रावास में स्थित मीटर के आधार पर बिल की राशि को सभी छात्रों मे समान रूप से बांटकर वसूल किया जायेगा ।

*दो छात्रों वाला कमरा

⇔चार छात्रों वाला कमरा

नोट :– उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। अतः जमा कराई जाने वाली फीस के सम्बन्ध में अन्तिम सूचना संबंधित प्रधानाचार्य से प्राप्त करें ।